

## एंजल टैक्स (Angel Tax)

### वर्तमान संदर्भ

- हाल ही में सरकार द्वारा एंजल टैक्स के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए। नए नियमों में स्टार्ट अप निवेश पर कर की शर्तों को आसान बनाया गया है।

### क्या है एंजल टैक्स

- जब नई कंपनी प्रचलित बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत पर अपने शेयर जारी करती है तो उसे कुछ राशि ज्यादा मिलती है। इस ज्यादा मिली राशि को दूसरे स्रोत से अर्जित की गई आय माना जाता है। और इस पर लगे टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता है। यह सरकार द्वारा 2012 से प्रारंभ किया गया था।
- उदाहरण- 'A' एक स्टार्टअप कंपनी है जो निवेश हेतु अपना प्रस्ताव लेकर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था 'B' के पास जाता है। प्रचलित बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत पर 'A' अपनी शेयर को बेचता है इस प्रकार वह निवेशक 'B' एंजल निवेशक कहलाता है तथा जो मूल्य उस स्टार्ट अप 'A' को मिले उस पर एंजल टैक्स लगाया जाता है।
- सरकार ने 2018 में एक आदेश जारी करते हुए आयकर के धारा 56 के तहत एंजल इन्वेस्टर के योगदान सहित 10 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले स्टार्ट-अप को टैक्स में छूट प्रदान की थी।

### क्या है स्टार्टअप -

- ऐसी यूनिट जो इनोवेशन, डेवलपमेंट, नये प्रोडक्ट कॉर्पोरेट लाइसेंस टेक्नॉलोजी या बौद्धिक सम्पदा से जुड़ी सेवाओं पर काम करना चाहता है। वो स्टार्टअप के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है।

### नये दिशा-निर्देश

- स्टार्ट अप के दायरे में रहने की समय सीमा बढ़ाई गई। रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल तक कंपनी को स्टार्ट अप माना जायेगा।
- ऐसी सूचीबद्ध कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ ₹ या टर्नओवर 250 करोड़ ₹ है वो किसी स्टार्ट अप में निवेश करेगी तो 25 करोड़ से ज्यादा का निवेश आयकर के दायरे में नहीं आयेगा।
- सरकार ने टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी है। सालाना 100 करोड़ के टर्नओवर तक स्टार्टअप का दर्जा बना रहेगा पहले 25 करोड़ ₹ से ज्यादा सालाना टर्नओवर होने पर कंपनी स्टार्टअप के दायरे से बाहर हो जाती है।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने देश भर में 14,600 स्टार्ट अप की पहचान की थी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2587 स्टार्ट अप है।

### अन्य प्रावधान -

- 10 लाख से ज्यादा मूल्य का वाहन या ज्वेलरी की खरीद न की गयी हो।
- कंपनी द्वारा व्यापार के अलावा किसी भूमि पर निवेश न किया गया हो।

### आलोचना -

- धन शोधन रोकने के उद्देश्य प्रक्रिया के कारण से नौकरशाही द्वारा रिश्वत की मांग की जा सकती है।
- नए नियम पहले के नियमों से कम कठोर है जिससे स्टार्ट कंपनी द्वारा करों के संबंध में मनमानी की जा सकती है।
- भुगतान किए जाने वाले करों की गणना कर अधिकारियों द्वारा विक्रय मूल्य के आधार पर की जाती है जबकि किसी कंपनी का विक्रय मूल्य उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक होता है।
- जब तक सरकार द्वारा एंजल टैक्स की मनमानी प्रकृति को संशोधित नहीं किया जाता तब तक निवेशकों को हानि होने की संभावना रहेगी।